संख्या-114/2024/2418/30-3-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत पक्ष के अंतर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1074स0सु0/2024-08स0सु0/2021(Vol-3), दिनांक 05-09-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 के कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 वर्ष 2024-25: प्रस्तावित पूंजीगत योजनाएं के अंतर्गत मद संख्या-42-अन्य व्यय में अनुमोदित धनराशि रू0 5971.49 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 3199.49 लाख (रू0 इकतीस करोड़ निन्यान्नवे लाख उनचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य	वर्ष 2024-25 हेतु समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
(1)	• इलेक्ट्रानिक प्रवर्तन युक्तियों हेतु प्रदेश में 116 प्रवर्तन दलों, 19 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उ0प्र0 तथा सहायक परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), मुख्यालय अर्थात कुल 136 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में क्रय किये गये 66 इण्टरसेप्टर को कम करते हुए 70 प्रवर्तन दलों हेतु 70 इण्टरसेप्टर वाहन का क्रय हेतु। • 19 संभागीय परिवहन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में 12	1995.00	1995.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संभागों में पूर्व से एल0ई0डी0 युक्त वाहन उपलब्ध हैं, अवशेष 07 संभागीय परिवहन अधिकारियों को आउटडोर एल0ई0डी0 व अन्य संयंत्र युक्त 01-01 पब्लिसिटी वैन के क्रय हेतु।		
(2)	ई-चालान एवं प्रवर्तन कार्य हेतु समस्त प्रवर्तन अधिकारियों हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय :- • 139 ब्रेथ एनालाइजर का क्रय • 75 कम्प्यूटर, 75 स्कैनर प्रिन्टर तथा 75 यू0पी0एस0 (01 के0पी0ए0) का क्रय • 223 प्रवर्तन वाहनों में जी0पी0एस0 की स्थापना हेतु	195.49	195.49
(3)	75 सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय प्रवर्तन के सापेक्ष सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु वाले 20 जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु बिल बोर्ड की स्थापना पर व्यय हेतु (साइज 16.82 **X** 9.84 फिट)	1009.00	1009.00
	योग -	3199.49	3199.49

नियम व शर्तें -

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) प्रशासकीय विभाग योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294 /दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-30प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-172-X-2024-25, दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-114/2024/2418/30-3-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।